

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तार  
अहकाम जो  
हुकम की तार  
में जारी हुआ

5-6-23

वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज-रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 20-6-23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर माण्डल

20/6  
23

पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 कैम्प ब्रॉचर पंचायत लेसवा से पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाठपण किये गये। प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर निर्णय पृष्ठ से लिखा जाकर शाठपण किया गया। पत्रावली कैम्पल शुमार होकर नम्बर से कम है।

हुकमी चन्द श्रीहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



राजरथान - सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 116/23 प्रापत्र

1- श्री वैकदास जे. श्री लक्ष्मीदास वैरागी निवासी- सिडियास तहसील- गाँव

-प्रार्थी

बनाम

1- श्री राजू जे. श्री हिरादास वैरागी निवासी- सिडियास तहसील- माण्डल [वैरागी]  
(संबंधित प्रापत्र)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 20.6.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिडियास पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं० 2072/572 कुल किता 01 रकबा 0.1265 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम सिडियास पटवार हल्का सिडियास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं० 2072/572 कुल किता 01 रकबा 0.1265 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अगतानपुरा को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023